प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट रास्ता स्वीकृति बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर — अप्रार्थी सं. 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 2
4. श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों — अप्रार्थी सं. 3

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 01/12/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट रास्ता स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि — यह कि प्रार्थीया के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्लयू के खाता सं. 7 के प.नं. 1/223 के किला नं. 18 ता 25 कुल 2.024 हैक. नहरी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्लयू के खाता सं. 43 के प.नं. 0/223 के किला नं. 4/1 ता 5/3, प.नं. 1/223 के किला नं. 1 ता 4, 6 ता 12 कुल 3.289 हैक. नहरी म.गै.मु. खाला रास्ता मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि को प.नं. 0/223 के किला नं. 4/3, 5/3 प्रत्येक मे 0.025 0.025 हैक. गै.मु. स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है तथा प.नं. 0/223 व प.नं. 1/223 के बीच मे स्वीकृतशुदा गै.मु. खाला है और उक्त खाला के उपर पक्की पुलिया बनी हुई है जिससे अप्रार्थी सं. 1 अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। प्रार्थीया के पति सुखमन्दर सिंह व अप्रार्थी सं. 1 के पिता बलवीर सिंह आपस मे सगे भाई है और संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के कारण से ही अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा सहमति से किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक मे 1—1 बिस्वा रास्ता घरू तौर पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति को अपनी अपनी कृषि भूमि मे आवगमन हेतू दे रखा है जो कि मौका पर चालू है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने—जाने के लिए उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:49 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता एवं स्वीकृत शुदा एवं अन्य कोई निकटतम एवं सरल रास्ता नही लगता है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 4 टीकेडब्लयू के प.नं. 1/223 के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक मे 0.013–0.013 हैक. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता, किला नं. 11/011 हैक. बैजानिव दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा रास्ता के एवज की भूमि मे प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि चक 4 टीकेडब्लयू के प.नं. 1/223 के किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक मे 0.013–0.013 हैक. बैजानिव पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता, किला नं. 111.011 हैक. बैजानिव दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा मय जवाब अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पटीर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थीया की कृषि भूमि दर्ज होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कि प.नं. 0/223 के किला नं. 4/3, 5/3 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. गै.मु. रास्ता स्वीकृतशुदा है व प.नं. 0/223 व प.नं. 1/223 के बीच में स्वीकृतशुदा गै. मु. खाला है स्वीकार है शेष कथन असत्य व अविधिक होने से अस्वीकार है । मिन अप्रार्थी व प्रार्थीया के पति सुखमन्दर सिंह के बीच कभी कोई रास्ता बाबत सहमति नही हुई है व ना ही मिन अप्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि के प.नं. 1/223 के किला 1, 10, 11 प्रत्येक में 0.013–0.013 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा व किला नं. बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति को आवागमन हेतू दिया है क्योंकि मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 1/223 के किला नं. 1 में ट्रासफार्मर, विधुत विभाग की डिपी, दो पक्के मकान व पानी की डेम बनी हुई है। प्रार्थीया द्वारा मिन अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 1/223 के किला नं. 1, 10, 11 में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है वह कभी स्वीकृत नही हो सकता क्योंकि किला नं. 1, 10, 11 के आगे प्रार्थीया की कृषि भूमि के प.नं. 1/223 किला नं. 20 का रकबा है जिसमें प्रार्थीया ने पानी का डेम, कमरा, सोलर लगा रखे है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आना जाना नही कर सकती है मात्र मिन अप्रार्थी सं. 1 को तंग परेशान करने की नियत से उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आना जाना करती है। प्रार्थीया ने जो रास्ता मिन अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में स्वीकृत करवाना चाहा है वह रास्ता कभी चालू नही रहा है क्योंकि मिन अप्रार्थी सं. 1 की भूमि के किला नं. 1 में ट्रासफार्मर, दो पक्के मकान व पानी की डेम बनी हुई है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये [illegible]/223 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से रास्ता स्वीकृत करवा सकती है जिससे प्रार्थीया [illegible] भूमि के किला नं. 21 में प्रवेश कर सकती है या प्रार्थीया चक 4 टीकेडब्ल्यू की प.नं. 2/223 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करवा सकती है जो पूर्व में भी चालू था व उक्त रास्ता से ही प्रार्थीया आना जाना करती थी। जो प्रार्थीया के देवर वगैरा की साझी कृषि भूमि है जिसका प्रार्थीया ने घरू बंटवारा कर चक 4 टीकेडब्ल्यू की कृषि भूमि ली थी। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जबाब सशोंधित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 3 को बाद प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होने पर पक्ष कार संयोजित किया गया है अधिवकता श्री गुरमेल सिंह हाजिर होकर वकालतनमा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है शामिल पत्रावली है जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 3 की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं–यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 1 में वर्णित कथन प्रार्थीया द्वारा आधे अधूरे प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थीया द्वारा मात्र चक 4 टीकेडब्ल्यु के प. न. 1/223 के किला न. 18 ता 25 की भुमि का ही वर्णन किया गया हैं इसके अतिरिक्त इसी पं. न. 1/223 के किला न. 5, 13 ता 17 की कृषि भूमि प्रार्थीया के पति सुखमंदर सिहं उर्फ मुखत्यार सिहं पुत्र मिठु सिहं के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया के नाम से अभिलेखित कृषि भूमि की काश्त प्रार्थीया के पति द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही हैं। उक्त कृषि भूमि में पं.न. 1/223 के किला न. 5 तक मंजुरशुदा रास्ता हैं जिससे प्रार्थीया व प्रार्थीया का पति आवागमन करते आ रहे हैं। प्रार्थीया शुध्द हाथो से न्यायालय में प्रस्तुत नही हुई है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य हैं। विस्तार से विवरण अतिरिक्त कथन में किया जा रहा हैं ।

यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 2 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र कि दफा 3 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं । प्रार्थीया का यह कथन की प्रार्थीया का पति सुखमंदर सिंह व अप्रार्थी सं. 1 के पिता बलवीर सिहं आपस में सगे भाई है स्वीकार हैं। प्रार्थीया का यह कथन की प्रार्थीया का पति सुखमंदर सिंह व अप्रार्थी सं. 1 के पिता बलवीर सिहं आपस में सगे भाई है और संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के कारण से भी अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा सहमति से किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता घरू तोर पर प्रार्थीया व प्रार्थीया का पति सुखमंदर सिह को अपनी अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु दे रखा है जो मौका पर चालू हैं असत्य होने से अस्वीकार हैं। जैसे कि पूर्व में वर्णित जा चुका है कि प्रार्थीया के पति के नाम से इसी पं. न. 1/223 के किला न. 5, 13 ता 17 की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसके किला न. 5 की भुमि को स्वीकृत शुदा रास्ता जो कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्ल्यू के खा. सं. 15/8 पं.न. 2/223 काश्तकार जसकौर सिंह पुत्र इन्द्रसिहं के किला न. 1 ता 5 व आगे चलकर किला न. 5,6,15, 16, 25, से होकर वर्तमान में चालू हैं। प्रार्थीया व प्रार्थीया का पति सुखमंदर सिहं व अन्य काश्तकार इसी रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। प्रार्थीया के लिये यही उपयुक्त व कम दुरी का रास्ता हैं। प्रार्थीया ने हैरान परेशान व क्षति पहुचाने के आश्य से प्रस्तुत किया है। जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

विधिक आपतिया यह कि प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का हेतुक कब प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में कोई कथन नही किये गए है प्रार्थीया प्रार्थना पत्र बिना हेतुक कारण के इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है ।

यह कि प.नं. 1/223 के किला नं. 1 का बेचान अप्रार्थी सुखदेव सिंह मन अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में जरिये इकरारनामा दिनांक 11.06.2025 के द्वारा उक्त पत्थर का किला नं. 1 की कुल 253 हैक. मय दो पक्के कमरे बिल मुक्ता 2,00,000/– रूपये में बेचान कर साई पेटे राशि 1,10,000/– रूपये प्राप्त कर कब्जा प्रार्थी को सौंप दिया है। इकरारनामा की दिनांक से प्रार्थी कब्जा में है। नियत दिनांक 01.07.2025 को अप्रार्थी सुखदेव सिंह द्वारा बदनियत होकर मन अप्रार्थी के पक्ष में बैयनामा नही करवाया जिसके मन अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सुखदेव सिंह के विरूद्व माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायधीश पीलीबंगा में वाद पत्र व स्थगंन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए जिसमें बाद सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा उक्त किला नं. 1 को रहन बैय, व अन्य अन्तरित करने से निषिद रहने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाये गये है जो आज दिनांक तक प्रभावी है। प्रार्थीया कर्मजीत कौर व अप्रार्थी सुखदेव सिंह ने दुर्भिसंधि कर उक्त प्रार्थना पत्र 251 (क) आर. टी. ए. प्रस्तुत कर शीघ्र निर्णय करवाने हेतु प्रयासरत है प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाते है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:49 IST
Reason: SelfAttested

तो मन अप्रार्थी जैसे सीमान्त कृषक को अत्यधिक असुविधा होगी व उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग नही कर पायेगा मन अप्रार्थी नें उक्त भूमि अपनी भविष्य की आवश्यकताओ को देखते हुऐ खरीद की है। उक्त विधिक स्थिति के चलते हस्तगत प्रकरण खारिज होने योग्य है । अन्यथा जब तक माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश में प्रस्तुत वाद अनवानित मलकीत सिंह बनाम सुखदेव सिंह का अन्तिम निस्तारण नही हो जाता तब तक उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित किया जाना न्यायहित में अति आश्वयक है उक्त स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र दोहरा परिसंकट (DOUBLE JEOPARDY) के दोष से ग्रसित हो जायेगा।

यह कि हल्का पटवारी ने एक तरफा मौका रिपार्ट तैयार कर के पेश की है। जिसमें पं. नं. 1/223 के किला नं. 5 में लग रह रास्ता को नही दर्शाया नही गया है। कानूनन मौका निरक्षण से पूर्व सभी काश्तकार को नोटिस दिया जाना व उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार किया जाना आज्ञापक है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नियमावली का पालन नही किया गया है। मन प्रार्थी को बाद में पक्षकार संयोजित होने के चलते उक्त मौका रिपोर्ट में सम्बन्ध में कोई अवसर प्राप्त नही हुआ है। चूंकि मन अप्रार्थी द्वारा पूर्व में वर्णित जा चुका है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी स. 1 ने आपस मे मिलीभगत कर रखी है। जिसके चलते उन्होने मन माफिक रिपोर्ट तैयार करवाई है। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को रिकार्ड से हटाकर नई मौका रिपोर्ट मगवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के सशोधित प्रावधानो के अनुसार भूमि के बदले भूमि का प्रावधान है। ऐसी भूमि देने के लिए प्रार्थीया ने अपने अभीवचन नही किये है। जिसके चलते प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 532 दिनांक 10.06.25 से प्राप्त की गई है जो शमिल पत्रावली है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि से संबन्धित खाते के समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते के आलावा पूर्व में कोई स्वीकृत शुदा रास्तानहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवकता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीया के पति सुखमन्दर सिंह व अप्रार्थी सं. 1 के पिता बलवीर सिंह आपस मे सगे भाई है और संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य होने के कारण से ही अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा सहमति से किला नं. 1, 10, 11 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता घरू तौर पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति को अपनी अपनी कृषि भूमि मे आवगमन हेतू दे रखा है जो कि मौका पर चालू है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे आने–जाने के लिए उक्त [illegible] अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता एवं स्वीकृत शुदा एवं अन्य कोई निकटतम एवं सरल [illegible] लगता है प्रार्थीया रास्ते की एवज में भूमि या डीएलसी की दूगनी राशि [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी [illegible] चालू नहीं है यदि प्रार्थीया किला नं. 1, 10, 11 के आगे प्रार्थीया की कृषि भूमि के [illegible] 1/223 किला नं. 20 का रकबा है जिसमें प्रार्थीया ने पानी का डेम, कमरा, सोलर लगा रखे है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में आना जाना नही कर सकती है मात्र अप्रार्थी सं. 1 को तंग परेशान करने की नियत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य रास्ता लगता है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीया कर्मजीत कौर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:49 IST
Reason: Self Attested

अप्रार्थी सुखदेव सिंह ने दुर्भिसंधि कर उक्त प्रार्थना पत्र 251 (क) आर. टी. ए. प्रस्तुत कर शीघ्र निर्णय करवाने हेतु प्रयासरत है वे यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अत्यधिक असुविधा होगी व उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग नही कर पायेगा मन अप्रार्थी नें उक्त भूमि अपनी भविष्य की आवश्यकताओ को देखते हुऐ खरीद की है। उक्त विधिक स्थिति के चलते हस्तगत प्रकरण खारिज होने योग्य है बहस में कथन किया कि प्रकरण में माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश में प्रस्तुत वाद अनवानित मलकीत सिंह बनाम सुखदेव सिंह का अन्तिम निस्तारण नही हो जाता तब तक उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई स्थगित किया जाना न्यायहित में अति आश्वयक है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चालू नहीं है तथा तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 1/223 के किला नं. 1, 10, 11 में जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहा है प्रश्नगत रकबा के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के मध्य वाद जैरकार है जिसमें दिनांक 02.08.25 को स्थगनादेश मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत रकबा पर यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्त विवाद को बढाने में सहायक होगा इस लिए हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 21/12/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.01.21 11:19:49 IST
Reason: SelfAttested